## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा.आर.ए.एस**

मु0माल स0 86 / 2014

1–जगसीरसिंह पुत्र मोखासिंह उर्फ मुखत्यारसिंह जाति मजवीसिख निवासी 1 सी छोटी ते0श्रीगंगानगर

2–कुलदीपसिंह पुत्र मलकीयतसिंह जाति मजहवीसिख निवासी 39 एच तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर
–प्रार्थीगण

बनाम

1–श्रीमति चरणकोर पत्नी लखासिंह जाति मजहवीसिख निवासी कालिया ते0 श्रीगंगानगर

2–मोखासिंह उर्फ मुखत्यारसिंह पुत्र लखासिंह जाति मजहवीसिख निवासी 1 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर

3–सरजीतकोर पुत्री लखासिंह पत्नी गुजलारसिंह जाति मजहवीसिख निवासी गुरुनानक बस्ती श्रीगंगानगर

4–प्रकाशकौर पुत्री लखासिंह पत्नी बलवीरसिंह जाति मजहवीसिख निवासी 3 एफ एफ तहसील करनपुर

5–सर्वजीतकोर पुत्री लखासिंह पत्नी रणधीरसिंह जाति मजहवीसिख साकिन मटीलीराठान ते0 श्रीगंगानगर नेतराम पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन 2 के तहसील श्रीगंगानगर

6–मलकीयतसिंह पुत्र लखासिंह जाति मजहवी साकिन 39 एच ते0श्रीकरनपुर

7–बलदेवसिंह पुत्र लखासिंह जाति मजहवीसिख साकिन कालिया ते0 श्रीगंगानगर

8–जगतारसिंह उर्फ जगारसिंह मुशीराम पुत्र जयचन्द जाति जाट साकिन 2 के तहसील श्रीगंगानगर –अप्रार्थीयान

प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थितिः–1–श्री सुखदेवसिंह एडवोकेट– प्रार्थीयान

2–श्री सुभाषचन्द्र मिढढा एडवोकेट– अप्रार्थी

आदेश–: दिनांकः–29 मार्च ,2016

–cont (2)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

(2)

विविध 86/14

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार से है कि मूल वाद 88–91–188–92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुऐ यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया हैं। कि अप्रार्थी स01 के नाम से चक 2 एल बडा के खाता स0 78/70 मु0न032 के 3.111 हैक्टयर में से 1.166 हैक्टयर दर्ज काजगात है। यह भूमि जददी जायादा होने से वादीगण का जन्म से हक हिस्सा बनता हे। अतः चक 2 एल बडा के खाता स0 78/70 मु0न032 के 3.111 हैक्टयर में से 1.166 हैक्टयर को अप्रार्थीगण किसी को रहन बैय मुन्तकिल करने करवाने से बाज व ममनू रहे रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावें। प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण के सुयोग्य अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनने एंव प्रथम द्वष्टया प्रकरण होने पर दिनांक 2–06–14 को इस अमर की अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की गई कि चक 2 एल बडा का खाता स0 78/70 मु0न032 के 1.166 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण के पिता के 1/8–1/8 हिस्सा में प्रार्थीगण के हिस्सा तक की भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे तथा रिकार्ड की यथास्थितियथास्थिति बनाई रखें। अप्रार्थीगण को जरिऐ रजि0 नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थीगण स01,3ता5,7–8 की ओर से सुभाषचन्द्र मिढढा एडवोकेट उपस्थित आये ओर दिनांक 19–5–15 को अपना जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थी स01 के नाम से दर्ज हैं जो पूर्वजों से नहीं मिली व न ही किसी प्रकार से जददी जायदाद की श्रेणी में आती है। न ही उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1ता8 के सयुंक्त हिन्दु परिवार की सम्पति के रुप में अप्रार्थी स01 के नाम से दर्ज हैं तथा किसी प्रकार से भी प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से प्रथम द्वष्ट्रया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर ना ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में हैं। अपूरर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबिज नहीं होते है। अभिकथन मिथ्या हैं जेरबहस प्रतिवादी संख्या 1 मा 8 के सयुंक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित जददी जायदाद के रुप में अप्रार्थी स01 के नाम दर्ज है।न तो उसे मुन्तकिल करने की जरुरत हैं न ही हक हैं ओर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 लालचवंश हड़पने की कोशिश में है। उसकी स्वअर्जित सम्पति है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी स0 2 मोखासिंह उर्फ मुखत्यारसिंह के सम्मन की तामील मूल वाद में होने के बाबजूद उपस्थित नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। अप्रार्थी स06 मलकीतसिंह की ए0डी0बाद हस्ताक्षर प्राप्त हो जाने व हाजिर नहीं आने के कारण उसके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। यह ए0डी0मूल पत्रावली में शामिल हैं।

दिनांक 17/3/16 को उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुऐ तर्क दिया कि मूल वाद के निर्णय तक भूमि का रहन बैय न करें। बूढी औरत है। यह अपना हक इसके पोते/बेटे लेने चाहते है। प्रार्थीगण का प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन इनके पक्ष में हैं। अतः विवादास्पद भूमि को रहन बैय नहीं करने तक का सीगन

—cont (3)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

विविध 86/14

दिया जावें। अप्रार्थी के वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि जगसीरसिंह व कुलदीपसिंह प्रतिवादी स01 के पोते है। जददी जायदाद का वाद मानते हैं तो जददी जायदाद 4 पीढियों से भूमि आती हैं वही होती है। यह लखासिंह को जीवों के आधार पर आवंटन हुई थी। तीन सदस्य प्रत्येक को 1.037 हैक्टयर भूमि आई। लखासिंह की मृत्यु होने पर उस हिस्से पर वारिस काबिज है। वादीगण का हक व हिस्सा नहीं है। लखासिंह के हिस्सा में से ही हिस्सा प्राप्त कर सकते है। अतः किसी प्रकार से अस्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपने पिता हिस्सा के हिस्सा तक की अस्थाई निषेघाज्ञा मांग सकते है। ना तो प्रथम द्वष्ट्रया प्रकरण बनता हैं ओर ना ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है। उनके हिस्से तक अस्थाई निषेघाज्ञा दी जा सकती है। अस्थाई निषेघाज्ञा लखासिंह की भूमि तक ही हो सकती है। अन्य पर नहीं।

हमने दोनों पक्षों की ओर से समायत बहस पर मनन किया एंव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में चक 2 एल बडा के खाता स0 78/70 की 3.3110 हैक्टयर भूमि लखासिंह पुत्र धुमासिंह कौम मजवीसिख के नाम से दर्ज हैं। लखासिंह के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम से दर्ज हुई है। भूमि अभी मुश्तर्का खाते में हैं।प्रार्थीगण का प्रथम द्वष्टया कानूनी रुप से भूमि में अपना हक हिस्सा प्रथम द्वष्ट्रया साबित नहीं कर सका है साथ कब्जे के सम्बन्ध में कोई प्रथम द्वष्ट्रया साक्ष्य पेश नहीं किये। ऐसी अवस्था में प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होता हैं इसलिऐ अपूरर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी सिद्व करने में नाकाम हैं। कोई हक व हिस्सा बनता हैं तो मूल वाद में साक्ष्य/सबूतों से जबाब के बाद तैय होगा। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पूर्व में दिनांक 2–6–14 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ शामिल रहें।

आदेश सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा )
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर